Gout Jarahour

## कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र., भोपाल

4 235 2118 2116 Dull विषय :--न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यूपी, क. 2573/16 (एस) प्री २१०-भुप्ता विरुद्ध ..... क्षेत्रीय अतिरिक्त संघालक / प्रा<del>वार्य</del> प्राक्तिपुर में प्राप्त न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी .... 25.73 16 (स्त्री) याल हुई है। प्राप्त याचिका का संबंध केला है आकर्शन महायिथाकप वयोलन जाणा प्रस्थाप, 2114, पन मिण्य माना डिन्डोरी प्रकार अधिकारी नियुक्त किया जाना है, कृपया अनुनोदन करना चाहे स्थाय है। वार मान्य हो तो प्रभारी अधिवारी नियुक्ति आदेश की स्वच्छ प्रतियो पर हरनाइए प्रका Of C 1-rafas ed 05) रामा खान प्राची। क्षित्रक स्थव महोदय च. म.अ.(न्या प्रकोष्त) क्रिया ना महारम ती के जिल्ला सुसार त्रका त्राम व्यक्तिम द्यापिक संस्थाल द्राम शिया कुता शवा के वाट कार्डश की उपन्य अतियां इक्तामार्थ Ad far 5 01 Cont of Early 7/7 ania. 29/02/14/ Boy egro!

900000

# कार्यालय, आयुक्तं, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

TO KING I GE VE	पंजी क्रमांक
वेषरा :	र्वेड73 16 (एस) या जेवा युप्ता
न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क्र	2573 15 PIL
विरूद्ध	वाजेबा गुजा
14/08	J
00-	
सचिव मध्यप्रदेश शासन तरि।	भाग हो जा अप का का
. विनाक में अतिरिवत सधानक/	arcanai
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ਲਿਹਾ ਜ਼ਿਲਾ ਵੈ। ਤਰਤ ਨੇ	को प्रभारी अधिवान नियुक्त
किया जा चुका है। कृपया प्रतिरक्षण आदेश जारी	करने टेलु नस्ती विधि विभाग की और
अकित करना वाहे।	
0.2	
	ची, के चोशंसधा
आयुक्त / सचिव महोदय	種毒器
विधि विभाग	
1114 14411	
The state of the s	
	TO THE THE PARTY OF THE PARTY O
1	
11	

एक क....

## कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. 835. रा विश्व ५ 16

विषय:- डानामानमीन अनुरवा क्रमेंड डळत्यू मि. 25 73/2016 (PIL)यानेशा गुर्ता, शासकीय पह विद्या महाविद्यालाय, मिळांदी विकल्ड यूर्व युक्त से!-१५५१ पगरण में जो। आहें ती, उगडेया जाती विष जा न्युने हैं अवः नक्ती अतिरक्षण हेतु- विखि 1921101 5) 3ilan examel Dyar भी निक्र करना नार्छ। 09/03/16 FILEN **उमाकान्त उमराव** सचिव/आयुक्त 4.m. क्षंत्रन, **उच्च** शिक्षा विभाव

पृष्ठ क्र		
-----------	--	--

## कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7341 10mm Bosia (405m) 1

### मध्य रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग नंत्रालय

ФНІФ 412 28 3 1 1 1 211 1 211 1 2016 30 min 15 12 27 2 16 सिविल प्रक्रिया सहिता 1990 (1908 का अधिकतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियन-1 तथा -1 अधीन शक्तियां का प्रयोग करते हुए उत्ति रिद्य के की का अब उत्तक शिक्ता जीका

अंकाम री वा (म. फ.) को या चेका कमांक धिर 25 73 2016 (РТ) (पक्षकारों के नाम) राजिश ठाटत, चिक्रक, शास्त्रका

के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और सं प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवरणांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में दर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति। तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरें नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:--

प्रभारी आधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्यकता हो, आर याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिसरे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी. रिपोर्ट तैय र करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रि गेर्ट में विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

- 2/ समस्त सुर गत फाइलें, दस्तावेज, नि गा अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेंगा ।
- उक्त रिपोरं तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा । 3/
- शासकीय विवक्ता की सहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर विभागीय / प्रशासकं य अनुमोदन हेतु निम्नान्सार भेजेगा:-

वाद / पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका । 1/

प्रस्तावित जिखित कथन का प्रारूप । 2/

उन सभी दस्त वेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।

मामले विश्दीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में बाद की तारीख भी यणित होनी चाहिये ।

6/ मामले की तैयारो और संचालन में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम और संबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अवगत रखेगा

जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता हैं। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाहं। करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

9 / , यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने ,रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त ें करने और ज़राकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों ।

10/ जैसे हैं। उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, यह अई शासकीय पत्र के भाष्यम से तत्काल जानकारी देगा । यह वर्तमान पद भार देने के प्रश्वात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है ।

11/ प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव भदद / सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि वाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावंज अप्रकटित नहीं रह जावे ।

12/ महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।

13 / जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पक्षकार बनाया गया हैं. ऐ मामलों में माननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेत् न्यायालय के समक्ष शीघाति गीघ आवेदन दायर कर विलोगित करवायें ।

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम र तथा आदेशानुसार

भारतप्रदश सार । भंद्रालयः मोपाल भोपालः दिनांक मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा दिगाग

413/ / उशिवि / मंत्रास्य / म्याप्र भोपात, दिनांक 27-2/ प्रतिक्षिण--

महावियक्ता, उच्च न्यावालय माजा जयलपुर/इन्दीर/म्वालियन संमान न.प्र. की और ।

1/ प्रमुख सचिव भाषाप्रदेश शासन विधि और विधार्थ कार्य विभाग विध्याचन नवन भोषाल

सर्वधित जिलाध्यस वीचा नच्यप्रदेश। 4/ डीतरिकत के वालड उच्च किया प्राचा सेआम सेवा प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित । साध्य ही शासकीय अधिवक्ता सं सन्पर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आनी प्रत्येक मेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मागलें में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव है। भेजना चाहिये वाद पन की प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जायं, मामले की सुन्दाई की तारीख.....की सुनवाई हेतु नियत की गई थी / हैं।

5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक , उच्च शिक्षा जिल्लामु केला का कार्य (क. 5.) १

की ओर सूयनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू !

नम्यभवेश शासन, उच्च शिक्ष विगागः मंत्रालय, भोपाल

## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR (M.P.)

# WRIT PETITION NO. 2573 /2016 (PIL)

#### CAUSE TITLE

#### **PETITIONERS**

Rajesh Gupta, S/o, Ramesh Chandra Gupta, Aged about 45 years, R/o, Ward No.3, Shahpura, Tehsil Shahpura, District Dindori (M.P.).

### **VERSUS**

## RESPONDENTS

- Union of India, through its Secretary, Human Resources Development and Higher Education Department, New Delhi
- The Principal Advisor, RUSA Sansadhan Kendra, New Delhi.
- The State of Madhya Pradesh through the Commissioner, Higher Education, Satpura Bhawan, Bhopal (M.P.).
- 4. The Commissioner/ Project Director, Madhya Pradesh State Project Directorate, Rastriya Uchhatar Siksha Abhiyan (RUSA) Higher Education Departmetn, Satpura Bhawan, Bhopal (M.P.).
- The Regional Deputy Director,
  Higher Education, Jabalpur
  Division Jabalpur (M.P.).